

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

---:अधिसूचना :---

क्र. / 3333 / भूअर्जन / अ-82 / 2022,

कोरबा, दिनांक 14/03/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि की कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-


अनुसूची


- (1) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - कोरबा
(ख) ग्राम - हर्भाठा
(ग) तहसील - कटघोरा
(घ) क्षेत्रफल - 1.526 हे.

स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल
1	236	0.069	11	256	0.165	21	251/1	0.024
2	228	0.065	12	271	0.093	22	241/3	0.004
3	227/1	0.036	13	164/10	0.020	23	251/2	0.003
4	239/1	0.037	14	269/3	0.105	24	227/2	0.226
5	239/2	0.016	15	270	0.145	25	276/2क	0.036
6	239/4	0.020	16	272	0.008	26	276ख	0.045
7	164/6	0.057	17	278/1	0.036	27	276/5	0.048
8	164/4	0.040	18	278/2	0.040	28	241/1	0.016
9	164/9	0.008	19	276/6	0.040	योग		1.526
10	255	0.061	20	251/3	0.063			

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा, जिला - कोरबा (छ. ग.)


(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर
जिला-कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग